



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

अपराध विविध जमानत आवेदन संख्या 4549 वर्ष 2026

अजीत सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: प्रमोद कुमार शुक्ला

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना- मोतीगंज, जनपद- गोंडा से संबंधित आपराधिक वाद संख्या 0073 वर्ष 2026, धारा 115(2)/352/351(3) भा.न्या.सं. एवं जोड़ी गई धारा 109(1) भा.न्या.सं. (समरूप धाराएं 323/504/506/307 भारतीय दण्ड संहिता) में विचारण के दौरान उसे जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस मामले में असत्य रूप से फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपराध कारित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करने की भूमिका कुल 3 व्यक्तियों को सौंपी गई है, जिनमें से दो अभियुक्तों को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक पर आरोप है कि उसने आहत पर फावड़े से प्रहार किया, यद्यपि चोटों की प्रकृति अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि नहीं करती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में दो साक्षी आवेदक के प्रति विद्वेष रखते हैं क्योंकि आवेदक द्वारा उन साक्षियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और अभी तक कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और इस प्रकार, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आवेदक साक्षियों को धमकाएगा या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 16-04-2026 से कारागार में निरुद्ध है।

अपने तर्कों को जोड़ते हुए, वे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक वचन देता है कि यदि उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा। अतः, निवेदन है कि आवेदक को ज़मानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि चोटों की प्रकृति अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि नहीं करती है; वर्तमान मामले में दो साक्षी आवेदक के प्रति विद्वेष रखते हैं क्योंकि आवेदक द्वारा उन दो साक्षियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है; आवेदक 16-04-2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा इसके साथ ही आवेदक ने वचन दिया है कि यदि उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, दोषसिद्धि की स्थिति में आरोप की प्रकृति और दण्ड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय के प्रथम दृष्टया संतोष, दण्ड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई दृष्टिकोण व्यक्त किए बिना, मैं इसे ज़मानत का उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **अजीत सिंह** को संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए:-

- (1) आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/ धमकाकर या उन पर दबाव बनाकर अथवा अन्यथा अभियोजन के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा। वह विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है;
- (3) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ होने, (ii) आरोप विरचन एवं (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन अभिलिखित करने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; तथा
- (4) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां पूरी तरह से इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

29 जून, 2026

ए.के.एस.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।